

28/8/17

वकील वादी / उभयपक्ष उप०। वकील वादी ने प्र०
पत्र पेश कर वाद को विद्वा / ~~नोट प्रेस~~ में खारिज
किए जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली को
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसला शुमार नं. से कम की आकर दाखिल
दफ्तर हो।

५

withdrew

Am

Kalef